पत्रांक अ0 नि0 (03) 52/2002/.......1041/

# बिहार सरकार
# गृह विभाग
# अभियोजन निदेशालय
## आफिसर्स फ्लैट सं0 V-5, न्यू पुनाईचक, पटना–23

प्रेषक,

**निदेशक, अभियोजन**
बिहार पटना।

सेवा में,

**सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी**
**सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड/**
**अपर लोक अभियोजक, सेलेक्शन ग्रेड**
**सभी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी/अपर लोक अभियोजक,**
**सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी**

पटना, दिनांक 1.9.16

विषयः– सरकार के साथ सीधे पत्राचार नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः–1. अभियोजन निदेशालय, बिहार पटना का कार्यालय आदेश संख्या 96/2002 सह पठित ज्ञापांक 1226 दिनांक 04.10.2002

2. बिहार अभियोजन हस्तक 2003 का नियम 22 (झ)।

3. अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक 993 दिनांक 29.05.2003

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि अभियोजन निदेशालय, बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 96/2002 –सह– पठित ज्ञापांक 1226 दिनांक 04.10.2002 एवं पत्रांक 993 दिनांक 29.05.2003 द्वारा सभी अभियोजन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे सरकार के साथ सीधे पत्राचार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावे, बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम 22 (झ) में जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से निदेशालय के उच्चाधिकारियों के साथ पत्राचार करने एवं निदेशालय के माध्यम से सरकार के साथ पत्राचार करने का प्रावधान किया गया है।

2. उपर्युक्त निर्देशों एवं प्रावधानों के वावजुद बिहार, अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों द्वारा सीधे प्रधान सचिव से पत्राचार किये जाने के दृष्टांत प्रकाश में आए हैं तथा अपने स्थानान्तरण के मामलों को लेकर सीधे प्रधान सचिव से मिलने के दृष्टांत भी प्रकाश में आए हैं, जो कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है जबकि निदेशक, अभियोजन के सम्पर्क के पश्चात यह होना चाहिए।

4. अतः बिहार अभियोजन सेवा के सभी पदाधिकारियों को पुनः निदेशित किया जाता है कि

(क) बिहार अभियोजन सेवा के कोई भी पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण हेतु सीधे प्रधान सचिव से न तो मिलेगे और न ही सीधे पत्राचार करेंगे।

(ख) अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, सेलेक्शन ग्रेड/अपर लोक अभियोजक सेलेक्शन ग्रेड, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी/अपर लोक अभियोजक एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी के माध्यम से ही अभियोजन निदेशालय के उच्चाधिकारियों के साथ पत्राचार करेगें।

(ग) जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अभियोजन पदाधिकारियों से प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनो को अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ अग्रसारन पत्र के साथ निदेशालय को भेजा जायेगा। किसी भी स्थिति में जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अभियोजन पदाधिकारियों के पत्रों/अभ्यावेदनो के हासिये में अनुसंशित एवं अग्रसारित अंकित कर नहीं भेजा जायेगा।

(घ) सरकार के साथ पत्राचार अभियोजन निदेशालय के माध्यम से ही किया जायेगा।

5. उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसका उल्लंघन करने वाले अभियोजन पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

1/9/16

निदेशक, अभियोजन
बिहार, पटना।

G:\03-52-2002.docx